रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265239
CG-DL-E-06082025-265239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947
No. 487] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि.530(अ).—निम्नलिखित भर्ती नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (समूह 'क' राजपत्रित पदों (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी) विनियम, 2014 की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) के अधिक्रमण में बनाने का प्रस्ताव करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 को संख्या 003/2014/एफ. संख्या एसआर/एस9/जेड-08/2011, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 के तहत प्रकाशित हुए थे, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले लागू या करने से छूट गई हैं, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एततद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा भर्ती नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा भर्ती नियमों पर आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 ईमेल: anrf-director@anrf.gov.in को भेजे जा सकते हैं;

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन समूह 'क' पद (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी) भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

(1) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" का तात्पर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है;

(ग) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से है;

(घ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों से है;

(ङ) "योजना" का तात्पर्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/41/2013-पीपी(आरआर) के तहत जारी संशोधित शिथिलता पूरक योजना (आरएफसीएस) से है; और

(च) "वैज्ञानिक पद" से तात्पर्य योजना में परिभाषित पद से है।

2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों का नाम, उनका वर्गीकरण, पदों की संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर नीचे दिए गए अनुसार होगा।: -

क्र. सं.	पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी)	शून्य*	लेवल-10 (Rs. 56100 -177500)
2.	वैज्ञानिक 'सी'		9* (2025)	लेवल -11 (Rs. 67700 - 208700)
3.	वैज्ञानिक 'डी'		शून्य *	लेवल 12 (Rs. 78800- 209200)
4.	वैज्ञानिक 'एफ'		6* (2025)	Level-13 (Rs. 123100- 215900)
5.	वैज्ञानिक 'एफ'		शून्य *	लेवल -13ए (Rs. 131100 -216600)
6.	वैज्ञानिक 'जी'		5* (2025)	लेवल -14 (Rs. 144200- 218200)
7.	वैज्ञानिक 'एच'		शून्य*	लेवल –15 (Rs.1,82,200-2,24,100)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।

टिप्पण- प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों को सबसे पहले फीडर ग्रेड के उन वैज्ञानिकों से भरा जाएगा जिन्हें योजना के अंतर्गत अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया है। यदि योजना के अंतर्गत अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचारार्थ अनुशंसित वैज्ञानिकों की संख्या, पदोन्नति ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो उस सीमा तक पदों की संख्या स्वतः ही पदोन्नति ग्रेड में इस शर्त के अधीन उन्नत कर दी जाएगी कि सभी ग्रेडों की संयुक्त स्वीकृत संख्या समान रहेगी। नौकरी छोड़ने के कारण उत्पन्न रिक्तियाँ सामान्यतः संबंधित वैज्ञानिक या तकनीकी श्रेणी के प्रवेश स्तर के ग्रेड में वापस आ जाएँगी। हालाँकि, कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, इनमें से कुछ रिक्तियों को,

रिक्ति के स्तर और समग्र स्वीकृत पद संख्या के भीतर व्यक्तिगत उम्मीदवारों की उच्च योग्यताओं और कौशल के अनुरूप, प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए, इन नियमों में निर्धारित भर्ती पद्धति से भरा जा सकता है।

4. **भर्ती पद्धति–**

(1) वैज्ञानिक 'बी' से 'एच' तक के पद चयन पद होंगे।

(2) भर्ती के प्रयोजनार्थ ये पद संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से मुक्त होंगे।

(3) वैज्ञानिक 'बी' के पदों पर भर्ती अनुसूची II में निर्दिष्ट अनुसार सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा की जाएगी।

(4) वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ', 'जी' और 'एच' के प्रत्येक पद या प्रत्येक मामले के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति का निर्णय समय-समय पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. वैज्ञानिक 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ', 'जी' और 'एच' के पदों के लिए भर्ती या तो योजना के तहत पदोन्नति या उन्नयन या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा अनुसूची II से अनुसूची VI में निर्दिष्ट और नियम 3 के नीचे दिए गए नोट के अनुसार की जाएगी।

6. वैज्ञानिक बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच के पदों पर प्रत्येक पद के लिए या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के प्रत्येक मामले में आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव के विशेष अनुशासन या क्षेत्र का निर्णय विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की उपलब्धता और किसी विशेष विषय में वैज्ञानिकों की आगे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और विशेष विषय को इन नियमों की अनुसूची V और अनुसूची VI में उल्लिखित विषयों की सूची से चुना जाएगा।

5. पदोन्नति या उन्नयन - (1) वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड तक वैज्ञानिकों की पदोन्नति संशोधित शिथिल योजना के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

2. वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड तक पदोन्नति या उन्नयन नीचे दर्शाई गई न्यूनतम कार्यकाल और योजना में निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार होगा।

वेतन मैट्रिक्स में लेवल	पदनाम	प्रदर्शन से संबंधित न्यूनतम कार्यकल
लेवल-11	वैज्ञानिक सी	वैज्ञानिक-बी के रूप में तीन वर्ष
लेवल -12	वैज्ञानिक डी	वैज्ञानिक-सी के रूप में चार वर्ष
लेवल -13	वैज्ञानिक ई	वैज्ञानिक-डी के रूप में चार वर्ष
लेवल -13ए	वैज्ञानिक एफ	वैज्ञानिक-ई के रूप में पांच वर्ष
लेवल-14	वैज्ञानिक जी	वैज्ञानिक-एफ के रूप में पांच वर्ष

3. योजना के अंतर्गत मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, अर्थात् स्तर-1 स्क्रीनिंग (आंतरिक स्क्रीनिंग समिति) और स्तर-2 स्क्रीनिंग (मूल्यांकन बोर्ड या विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति), जैसा कि अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट है।

4. मूल्यांकन वर्ष में दो बार किया जाएगा और उन वैज्ञानिकों के मामलों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने मूल्यांकन की कट-ऑफ तारीखों अर्थात 1 जनवरी या 1 जुलाई, जैसा भी मामला हो, के अनुसार न्यूनतम कार्यकाल पूर्ण कर लिया है या पूर्ण कर लेंगे, और जिन्होंने मूल्यांकन की कट-ऑफ तारीखों से पहले की अवधि के लिए न्यूनतम कार्यकाल के वर्षों की संख्या के बराबर या उससे अधिक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट अर्जित की है या अर्जित करेंगे, योजना के तहत मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

5. जो वैज्ञानिक स्तर -1 स्क्रीनिंग या स्तर-2 स्क्रीनिंग में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के बाद ही किया जाएगा, जब वे कम से कम एक और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे और ऐसा पुनर्मूल्यांकन पुनः स्तर -1 और स्तर -2 स्क्रीनिंग की आवश्यकता होगी तथा उस चरण से शुरू नहीं होगा, जहां वैज्ञानिक अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे थे।

6. अगले ग्रेड में पदोन्नति या उन्नयन के लिए योजना के अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया केवल तीन बार आयोजित की जाएगी, और उसके बाद, वैज्ञानिक को केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए अनुमोदित संशोधित सुनिश्चित कैरियर

प्रगति दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और जिस वैज्ञानिक को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के तहत कोई ग्रेड प्रदान किया गया है, उसे योजना में दिए गए प्रावधान के अनुसार अगले ग्रेड के लिए विचार किया जा सकता है।

7. प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा अवधि को योजना के तहत पदोन्नति या उन्नयन के लिए नहीं गिना जाएगा और विशेष रूप से प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों को योजना के तहत पदोन्नति या उन्नयन के लिए नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के तहत उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।

8. योजना के अंतर्गत अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति या उन्नयन के लिए अनुशंसित वैज्ञानिकों की पदोन्नति या उन्नयन की तिथि वह तिथि होगी जिस दिन सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नति या उन्नयन को मंजूरी दी थी और संगठन के बाहर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को केवल उस तिथि से पदोन्नति या उन्नयन दिया जाएगा जिस तिथि से वे पुनः शामिल होंगे या मूल कैडर में वापस आएंगे।

9. कोई पूर्वव्यापी पदोन्नति या उन्नयन नहीं होगा।

10. वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर पदोन्नति या उन्नयन के लिए कम से कम दो वर्ष का अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्र अनुभव और वैज्ञानिक 'जी' के पद पर पदोन्नति या उन्नयन के लिए पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

11. न्यूनतम कार्यकाल की गणना के लिए छुट्टी की अवधि, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा आदि पर बिताई गई अवधि को योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार माना जाएगा।

12. इन नियमों में उल्लिखित न की गई कोई भी बात योजना के प्रावधानों के अधीन होगी।

6. वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट - वैज्ञानिकों को योजना में दिए गए प्रारूप में वार्षिक आधार पर अनिवार्य रूप से वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भरनी होगी।

7. परिवीक्षा- (1) वैज्ञानिक **'बी'** के ग्रेड में सीधी भर्ती या समूह **'बी'** वेतनमान से पदोन्नति द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष होगी और वैज्ञानिक **'सी'** के ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष होगी और वैज्ञानिक **'डी', 'ई', 'एफ', 'जी'** और **'एच'** के ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए एक वर्ष होगी:

बशर्ते कि नियंत्रक प्राधिकारी इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा:

बशर्ते कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय सामान्यतः पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर या उसके विस्तारण होने पर, यदि वैज्ञानिकों को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति में बनाए रखा जाएगा तथा उपलब्ध मूल रिक्तियों के विरुद्ध उनकी पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तारण के दौरान, जैसा भी मामला हो, यदि फाउंडेशन की राय है कि कोई वैज्ञानिक स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फाउंडेशन उस वैज्ञानिक को सेवा से मुक्त कर सकता है या उसे सेवा में नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर वापस कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, वैज्ञानिकों से फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण और अनुदेश के ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने तथा परीक्षाएं और परीक्षण (हिंदी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है, जैसा फाउंडेशन उचित समझे, जो परिवीक्षा के संतोषजनक समापन समाप्ति के लिए उपयुक्त है।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्य इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन होंगे।

8. स्थायीकरण - सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक पदों का स्थायीकरण विभागीय स्थायीकरण समिति की अनुशंसा पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

1. वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' के लिए:

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष;
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संयुक्त सचिव या समकक्ष वैज्ञानिक अधिकारी	सदस्य
3.	फाउंडेशन के वैज्ञानिक 'जी'	सदस्य

2. वैज्ञानिक 'जी' और 'एच' के लिए:

1.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष;
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अपर सचिव या समकक्ष वैज्ञानिक अधिकारी	सदस्य;

9. अयोग्यता- कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, वह वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृथक कर सकती है।

10. चिकित्सा सुविधा: बोर्ड के अधिकारी अनुसूची I में विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे.

11. सेवानिवृत्ति लाभ- नई पेंशन योजना/एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान, जो समतुल्य वेतन स्तर के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू हैं, फाउंडेशन के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

12. शिथिलन की शक्ति: चाहे केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है**,** तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके**,** आदेश द्वारा**,** किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

13. इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले सेवारत फाउंडेशन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

14. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

[फा. सं. आरआर/एएनआरएफ-2025]

सुनील कुमार, अपर सचिव

अनुसूची I

1. बाह्य चिकित्सा व्यय.— (I) अधिकारी स्वयं एवं परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, "परिवार" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 में उल्लिखित है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(3) यह दावा डॉक्टर के पर्चे और डॉक्टर द्वारा उपचार एवं दवाओं की खरीद के लिए मूल नकद रसीद या बिलों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और वर्ष के दौरान किसी वृद्धि या पदोन्नति का प्रभाव 1 जनवरी को निर्धारित सीमा पर नहीं पड़ेगा।

(4) वर्ष के दौरान अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने पर वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर सीमित होगी।

(5) बाह्य उपचार बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले पैनल से सूचीबद्ध प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों से लिया जाएगा।

(6) पुरानी बीमारियों के मामले में, दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम (सीएसएमए) या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत आने वाले अस्पताल से प्राप्त दवा का पर्चा स्वीकार्य होगा।

(7) लागत गहन उपचार के प्रयोजन से, प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचारकों की दरों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से मामले दर मामले आधार पर की जाएगी।

(8) आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी निकटतम अस्पताल में इलाज करा सकता है और व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा, यह अस्पताल प्राधिकारियो के आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

2. आंतरिक उपचार:—

(1). आंतरिक उपचार के प्रयोजन से, बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होंगे और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा आदि सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।

(2). उपर्युक्त खंड (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, प्राधिकृत चिकित्सा सहायकों की सलाह पर प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार लिया जा सकता है।

अनुसूची II

वैज्ञानिक 'बी' के पद के लिए भर्ती

क. सीधी भर्ती : -

(1.) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ: -

(क) अनिवार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक या रासायनिक या जैविक या पृथ्वी-वायुमंडलीय या पर्यावरणीय या गणितीय या कम्प्यूटेशनल और सूचना या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या अनुसूची V में विनिर्दिष्ट अनुसार समकक्ष;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान या फार्मास्युटिकल विज्ञान (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) में स्नातक की डिग्री या अनुसूची VI में विनिर्दिष्टानुसार समकक्ष।

(ख) वांछनीय :

(i) अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (डॉक्टरेट) डिग्री;

या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

ii. उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण - न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि की गणना अनुभव में नहीं की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (अनिवार्य अर्हता क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने के अधीन होगी और अधिकतम दो वर्ष की अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदत्त डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल रोजगार अवधि के लिए की जाएगी, न कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए।

(2.) सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा: सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।)

टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि सुदूर क्षेत्रों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

ख. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है): प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की जाएगी:-

(क) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, सांविधिक या स्वायत्त शासी संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्,

(i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-9 (53100-167800/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा; या

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-8 (47600-151100/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद चार वर्ष की सेवा की हो; और

(ख.) उपरोक्त पैरा 1(क) में सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हताएं और अनुभव वाले।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी शामिल है), सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, ऐसे संवर्ग बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं ही है, प्रतिनयिुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति (इसमें वे भी शामिल हैं जो अल्पकालीन संविदा पर नियुक्त है) प्रोन्नति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जांच और चयन प्रक्रिया – प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) के लिए, जांच और चयन प्रक्रिया नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। सीधी भर्ती के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो छानबीन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी, जो प्रतिष्ठान द्वारा सीधे या उस क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली किसी एजेंसी या संगठन के माध्यम से संचालित की जाएगी।

अनुसूची –।।।

वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' पदों के लिए भर्ती

1. वैज्ञानिक 'सी' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,—

(क) अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची V में निर्दिष्ट भौतिक या रासायनिक या जैविक या भू-वायुमंडलीय या पर्यावरण या गणितीय या कम्प्यूटेशनल और सूचना या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान या औषधि विज्ञान में स्नातक डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) या

समकक्ष।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान एवं विकास में चार वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: अनिवार्य अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की अनुभव गणना हेतु नहीं की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (अनिवार्य अर्हता क्षेत्र में) प्राप्त करने में बिताया गया समय, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव के रूप में गणना की जाएगी। हालाँकि, डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदत्त डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या अनुबंधात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल रोजगार अवधि के लिए की जाएगी, न कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए।

(2.) सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा :

सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।)

टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि सुदूर क्षेत्रों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की जाएगी, वे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, वैधानिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) उपरोक्त पैरा 1(क) के के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं ही है, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति सहित) योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

II. वैज्ञानिक 'डी' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,—

(क) अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची V में विनिर्दिष्ट भौतिक या रासायनिक या जैविक या भू-वायुमंडलीय या पर्यावरण या गणितीय या कम्प्यूटेशनल और सूचना या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान या औषधि विज्ञान में स्नातक डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) या समकक्ष।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान एवं विकास में छह वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में निर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: अनिवार्य अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की अनुभव गणना हेतु नहीं की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (अनिवार्य अर्हता क्षेत्र में) प्राप्त करने में बिताया गया समय, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव के रूप में गणना की जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं गिना जाएगा। हालाँकि, डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदत्त डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल रोजगार अवधि के लिए की जाएगी, न कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए।

(2.) सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा :

सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा चालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।)

टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि सुदूर क्षेत्रों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध **सहित)**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की जाएगी, वे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, वैधानिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-11 (67700-208700/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) उपरोक्त पैरा 1(क) के के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की

अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, ऐसे संवर्ग बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं ही है, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति सहित) योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

III. वैज्ञानिक 'ई' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,—

(क) अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची V में निर्दिष्ट भौतिक या रासायनिक या जैविक या भू-वायुमंडलीय या पर्यावरण या गणितीय या कम्प्यूटेशनल और सूचना या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान या औषधि विज्ञान में स्नातक डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) या समकक्ष।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान एवं विकास में दस वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: अनिवार्य अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की अनुभव गणना हेतु नहीं की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (अनिवार्य अर्हता क्षेत्र में) प्राप्त करने में बिताया गया समय, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव के रूप में गणना की जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं गिना जाएगा। हालाँकि, डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदत्त डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल रोजगार अवधि के लिए की जाएगी, न कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए।

(2.) सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा :

सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।)

टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि सुदूर क्षेत्रों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की जाएगी, वे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, वैधानिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-12 (78800-209200/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) उपरोक्त पैरा 1(क) के के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं ही है, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सहित) योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

IV. वैज्ञानिक 'एफ' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,—

(क) अनिवार्य:

(i) अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान एवं विकास में दस वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट के बाद का अनुभव; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: अनिवार्य अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की अनुभव गणना हेतु नहीं की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (अनिवार्य अर्हता क्षेत्र में) प्राप्त करने में बिताया गया समय, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव के रूप में गणना की जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं गिना जाएगा। हालाँकि, डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदत्त डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल रोजगार अवधि के लिए की जाएगी, न कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए।

(2.) सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा :

सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा पचास वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।)

टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि सुदूर क्षेत्रों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध **सहित)**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की जाएगी, वे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, वैधानिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-13 (123100-215900/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) उपरोक्त पैरा 1(क) के के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं ही है, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति सहित) योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

V. वैज्ञानिक 'जी' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,—

(क) अनिवार्य:

अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

(i) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान एवं विकास में पंद्रह वर्ष का अनुभव।

(ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विकास, प्रबंधन और निर्देशन में दो वर्ष का अनुभव; और

(iii) उच्च स्तर का प्रकाशित शोध कार्य।

(ख) वांछनीय:

अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: अनिवार्य अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की अनुभव गणना हेतु नहीं की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (अनिवार्य अर्हता क्षेत्र में) प्राप्त करने में बिताया गया समय, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के अधीन, अनुभव के रूप में गणना की जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं गिना जाएगा। हालाँकि, डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदत्त डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या अनुबंधात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल रोजगार अवधि के लिए की जाएगी, न कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए।

(2.) सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा : सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलता दी

जाएगी।)

टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि सुदूर क्षेत्रों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की जाएगी, वे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, वैधानिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-13क (131100-216600/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) उपरोक्त पैरा 1(क) के के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं ही है, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति सहित) योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

VI. वैज्ञानिक 'एच' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,—

(क) अनिवार्य:

(i) अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान एवं विकास में अठारह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष वरिष्ठ स्तर (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 और उससे ऊपर) पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के संगठन एवं समन्वय की योजना, प्रशासन और विकास में होना चाहिए।

(iii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विकास, प्रबंधन और निर्देशन का अनुभव; और

(iv) उच्च स्तर का प्रकाशित शोध कार्य

(ख) वांछनीय:

अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: अनिवार्य अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की अनुभव गणना हेतु नहीं की जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री (अनिवार्य अर्हता क्षेत्र में) प्राप्त करने में बिताया गया समय, जैसा कि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के

अधीन, अनुभव के रूप में गणना की जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं गिना जाएगा। हालाँकि, डॉक्टरेट की डिग्री (प्रदत्त डिग्री) प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक रोजगार (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल रोजगार अवधि के लिए की जाएगी, न कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए।

(2.) सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा : सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।)

टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि सुदूर क्षेत्रों अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की जाएगी, वे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, वैधानिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-14 (144200-218200/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) उपरोक्त पैरा 1(क) के के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं ही है, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति सहित) योजना के अंतर्गत पदोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची IV

योजनागत मूल्यांकन प्रक्रिया

स्तर-1 छानबीन: आंतरिक छानबीन समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-

1.	भारत सरकार के अधीन प्रतिष्ठान अथवा वैज्ञानिक विभाग अथवा वैज्ञानिक संगठन से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक।	अध्यक्ष;
2.	भारत सरकार के अधीन प्रतिष्ठान अथवा किसी वैज्ञानिक विभाग अथवा वैज्ञानिक संगठन से अधिकतम तीन वैज्ञानिक।	सदस्य;

टिप्पण 1: क्रम संख्या 1 और 2 पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष और सदस्य नामित किए जाएंगे।

टिप्पण 2: सामान्यतः अध्यक्ष उस पद से कम से कम दो स्तर ऊपर होगा जिस पर पदोन्नति या उन्नयन किया जाना है तथा उपयुक्त क्रम संख्या 2 के सदस्य उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर पदोन्नति या उन्नयन किया जाना है।

टिप्पण 3: आंतरिक जांच समिति की कार्यवाही से किसी सदस्य की अनुपस्थिति उक्त समिति की सिफारिशों को अमान्य नहीं करेगी।

टिप्पण 4: आंतरिक जांच समिति की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की होगी।

टिप्पण 5: आंतरिक जांच समिति की सिफारिशें एएनआरएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन होंगी।

2. स्तर-2 छानबीन:

2.1 मूल्यांकन बोर्ड का गठन (वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'एफ' तक असाधारण मेधावी श्रेणी के अलावा योजना के अंतर्गत पदोन्नति अथवा उन्नयन पर विचारार्थ):

1.	प्रतिष्ठान के बाहर से कोई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक (सेवारत हो अथवा सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष;
2.	दो या तीन बाहरी विशेषज्ञ	सदस्य
3.	प्रतिष्ठान के एक अथवा दो वैज्ञानिक	सदस्य

2.2 विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति का गठन (योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'जी' के पद पर पदोन्नति अथवा उन्नयन पर विचारार्थ):

1.	अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद एएनआरएफ	अध्यक्ष;
2.	अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों से दो सचिव	सदस्य;
3.	संबंधित क्षेत्र के दो से तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ, जो अपर सचिव या समकक्ष पद से नीचे के न हों	सदस्य;
4.	वैज्ञानिक 'जी' के लिए अपर सचिव रैंक के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य.

अनुसूची V

विज्ञान विषय

क्रम संख्या	विषय	समतुल्य
(1)	(2)	(3)
1.	भौतिक विज्ञान	1. भौतिकी 2. भौतिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) 3. अनुप्रयुक्त भौतिकी 4. ठोस अवस्था भौतिकी 5. संगणनात्मक भौतिकी 6. इंजीनियरिंग भौतिकी 7. भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स 8. भौतिकी में विशेषज्ञता सहित मूलभूत विज्ञान 9. मुख्य विषय के रूप में 'भौतिकी' सहित अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक विषय

2.	रसायन शास्त्र	1. रसायन शास्त्र 2. कार्बनिक रसायन शास्त्र 3. कार्बनिक रसायन शास्त्र 4. विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र 5. भौतिक रसायन शास्त्र 6. अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र 7. रसायन विज्ञान 8. मुख्य विषय के रूप में 'रसायन शास्त्र' के साथ अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक विषय
3.	जीव विज्ञान	1. जीव विज्ञान 2. जीवन विज्ञान 3. जैवप्रौद्योगिकी विज्ञान 4. मुख्य विषय के रूप में 'जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक विषय
4.	पृथ्वी-वायुमंडलीय विज्ञान	1. भूविज्ञान और भूभौतिकी 2. भूविज्ञान 3. अनुप्रयुक्त भूविज्ञान 4. समुद्री विज्ञान 5. मौसम विज्ञान 6. समुद्र विज्ञान और तटीय क्षेत्र अध्ययन 7. भौतिक समुद्र विज्ञान 8. भू-सूचना विज्ञान 9. समुद्री भूभौतिकी 10. भूविज्ञान और खनिज विज्ञान 11. पृथ्वी विज्ञान 12. भूभौतिकी 13. अनुप्रयुक्त भूभौतिकी 14. मुख्य विषय के रूप में 'भूविज्ञान और/या भूभौतिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक विषय
5.	पर्यावरण विज्ञान	1. पर्यावरण और पारिस्थितिकी 2. पर्यावरण 3. पारिस्थितिकी 4. मुख्य विषय के रूप में 'पर्यावरण और/या पारिस्थितिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक विषय
6.	गणितीय विज्ञान	1. गणित 2. अनुप्रयुक्त गणित 3. गणित और कंप्यूटिंग 4. गणितीय विज्ञान 5. मुख्य विषय के रूप में 'गणित' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक विषय
7.	अभिकलनात्मक और सूचना विज्ञान	1. अभिकलनात्मक विज्ञान 2. आंकड़ा विज्ञान 3. सांख्यिकी 4. अभिकलनात्मक सांख्यिकी 5. सूचना विज्ञान 6. अनुप्रयुक्त सांख्यिकी 7. कूट-लेखन 8. अभिकलनात्मक मुख्य विषय के रूप में ' अभिकलनात्मक और/या सूचना' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक विषय

8.	कृषि विज्ञान	1. कृषि 2. कृषि भौतिकी 3. कृषि रसायन विज्ञान 4. कृषि इंजीनियरिंग 5. कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान 6. वनस्पति विज्ञान 7. मुख्य विषय के रूप में 'कृषि' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक विषय

अनुसूची VI

इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा भेषज विज्ञान (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)

क्षेत्र	विषय	समतुल्य
(1)	(2)	(3)
इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा पशु चिकित्सा विज्ञान भेषज विज्ञान	1. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग	1. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग 2. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण इंजीनियरिंग 5. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली इंजीनियरिंग 6. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 7. इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग 8. इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीमैटिक्स इंजीनियरिंग 9. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 10. दूरसंचार इंजीनियरिंग 11. दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी 12. अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग 13. इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संचार इंजीनियरिंग 14. संचार इंजीनियरिंग के साथ इलेक्ट्रिकल 15. रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स 16. विद्युत इंजीनियरिंग 17. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

		18. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (एवियोनिक्स) 19. मुख्य विषय के रूप में 'इलेक्ट्रॉनिक्स' के साथ अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	2. वैद्युत इंजीनियरिंग	1. वैद्युत इंजीनियरिंग 2. वैद्युत ऊर्जा प्रणाली इंजीनियरिंग 3. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4. वैद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरिंग 5. ऊर्जा इंजीनियरिंग 6. ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 7. इलेक्ट्रॉनिक्स और वैद्युत संचार इंजीनियरिंग 8. संचार इंजीनियरिंग के साथ वैद्युत 9. नियंत्रण प्रणाली 10. मुख्य विषय के रूप में 'वैद्युत' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	3. यांत्रिक इंजीनियरिंग	1. यांत्रिक इंजीनियरिंग 2. यांत्रिक और स्वचालन इंजीनियरिंग 3. यांत्रिक और उत्पादन इंजीनियरिंग 4. मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग 5. मुख्य विषय के रूप में 'यांत्रिक' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	4. उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरिंग	1. उत्पादन इंजीनियरिंग 2. औद्योगिक उत्पादन इंजीनियरिंग 3. उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरिंग 4. मुख्य विषय के रूप में 'उत्पादन और औद्योगिक' के साथ अर्हता डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	5. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग	1. कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी 2. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी 3. कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी 4.कंप्यूटर विज्ञान और प्रणाली इंजीनियरिंग

		5. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी 6. कंप्यूटर विज्ञान और स्वचालन इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी 7. सूचना प्रौद्योगिकी 8. कंप्यूटर विज्ञान या प्रौद्योगिकी और सूचना विज्ञान इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी 9. सूचना विज्ञान और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी 10. कंप्यूटर और संचार इंजीनियरिंग 11. कंप्यूटर नेटवर्किंग 12. सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार 13. कृत्रिम बुद्धिमत्ता 14. क्वांटम प्रौद्योगिकी 15. मुख्य विषय के रूप में 'कंप्यूटर' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	6. सामग्री इंजीनियरिंग अथवा सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग या धातुकर्म इंजीनियरिंग	1. धातुकर्म और सामग्री प्रौद्योगिकी 2. धातुकर्म या धातुकर्म इंजीनियरिंग 3. सामग्री इंजीनियरिंग 4. पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग 5. सामग्री विज्ञान और धातुकर्म इंजीनियरिंग 6. मुख्य विषय के रूप में 'सामग्री इंजीनियरिंग' या 'सामग्री विज्ञान' या 'धातुकर्म' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	7. पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग	1. पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग 2. ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरिंग 3. पर्यावरणीय इंजीनियरिंग 4. सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग 5. सिविल पर्यावरण इंजीनियरिंग 6. ऊर्जा पर्यावरण और जलवायु 7. पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी 8. नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरिंग पर्यावरण और जल संसाधन इंजीनियरिंग

		9. मुख्य विषय के रूप में 'पर्यावरण विज्ञान' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	8. सिविल इंजीनियरिंग	1. सिविल इंजीनियरिंग 2. सिविल और संरचनात्मक इंजीनियरिंग 3. सिविल और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग 4. सिविल और ग्रामीण इंजीनियरिंग 5. सिविल और जल प्रबंधन इंजीनियरिंग 6. सिविल और अवसंरचना इंजीनियरिंग 7. निर्माण इंजीनियरिंग और प्रबंधन 8. मुख्य विषय के रूप में 'सिविल' के साथ अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय
	9. रासायनिक इंजीनियरिंग	1.रासायनिक प्रौद्योगिकी 2. रासायनिक संयंत्र इंजीनियरिंग 3.अनुप्रयुक्त रासायनिक और बहुलक प्रौद्योगिकी 4.बहुलक विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी 5.रासायनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी 6.मुख्य विषय के रूप में 'रसायन' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी विषय
	10. जैव प्रौद्योगिकी	1. जैव प्रौद्योगिकी 2. जैवरसायन प्रौद्योगिकी 3. जैव सूचना विज्ञान 4. मुख्य विषय के रूप में 'जैव प्रौद्योगिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी विषय
	11.	1. औषध विज्ञान 2. फार्मेसी 3. औषधीय रसायन 4. फार्मास्युटिकल रसायन 5. मुख्य विषय के रूप में 'फार्मेसी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य प्रासंगिक विषय
	12. चिकित्सा	'चिकित्सा' में अर्हक डिग्री के साथ कोई प्रासंगिक विषय
	13. पशु चिकित्सा विज्ञान	'पशु चिकित्सा विज्ञान' में अर्हक डिग्री के साथ कोई प्रासंगिक विषय

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August 2025

G.S.R. 530(E).——The following draft of recruitment rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), and in supersession of the Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group 'A' Gazetted Posts (Non-Ministerial, Scientific and Technical) Regulations, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th April, 2014 vide No. 003/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011, dated the 24th April, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published for information of persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft recruitment rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft recruitment rules, if any, may be sent to the Director, Anusandhan National Research Foundation, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 email: anrf-director@anrf.gov.in;

The objections or suggestions, if any, received from any person in respect of the said draft recruitment rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short-title and commencement. - (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation Group 'A' Posts (Non-ministerial, Scientific and Technical) Recruitment Rules, 2025.

i. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);

(b) "controlling authority" means the Chief Executive Officer;

(c) 'Central Government" means the Government of India in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology;

(d) "Schedule" means the Schedules appended to these rules;

(e) "Scheme" means the Revised Flexible Complementing Scheme (RFCS) as issued by the Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. AB-14017/41/2013-PP(RR), dated the 13th March, 2024; and

(f) "Scientific Post" means a post as defined in the Scheme.

2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The name of posts, their classification, number of posts and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified under: -

Sl. No.	Name of post	Classification	Number of posts	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist 'B'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	Nil*	Level-10 (Rs. 56100 -177500)
2.	Scientist 'C'		9* (2025)	Level-11 (Rs. 67700 - 208700)
3.	Scientist 'D'		Nil*	Level-12 (Rs. 78800- 209200)
4.	Scientist 'E'		6* (2025)	Level-13 (Rs. 123100- 215900)

5.	Scientist 'F'		Nil*	Level-13A (Rs. 131100 -216600)
6.	Scientist 'G'		5* (2025)	Level-14 (Rs. 144200- 218200)
7.	Scientist 'H'		Nil*	Level–15 (Rs.1,82,200-2,24,100)

*Subject to variation dependent on workload.

Note.- The vacancies in each grade shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same. Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category. However, based on functional needs and with the approval of competent authority, some of these vacancies may be filled by the method of recruitment prescribed in these rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

4. Method of Recruitment. –

(1) The posts of Scientists 'B' to 'H' shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment.

(3) Recruitment for the posts of Scientist 'B' shall be made either by direct recruitment or deputation (including short term contract) as specified in Schedule II.

(4) Particular method of recruitment for each post or each case of Scientist 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' shall be decided by the Controlling Authority from time to time.

(5) Recruitment for the posts of Scientists 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short term contract) as specified in Schedule II to Schedule VI and as per Note below rule 3.

(6) Particular discipline or field of essential educational qualification and experience for each post or in each case of direct recruitment or deputation (including short-term contract) to the posts of Scientist B, C, D, E, F, G and H shall be decided by the controlling authority, keeping in view the availability of Scientists of different disciplines and further requirement of Scientist in a particular discipline and the particular discipline shall be chosen from a list of disciplines mentioned in Schedule V and Schedule VI of these rules.

5. Promotion or upgradation. - (1) Promotions of the Scientists up to the grade of Scientist 'G', shall be governed by the provisions of the Revised Flexible Complementing Scheme and as amended from time to time by the Central Government.

(2) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' up to Scientist 'G' shall be as per the minimum residency period indicated below and compliance with other provisions specified in the Scheme.

Level in pay matrix	Designation	Minimum Residency Period linked to Performance
Level-11	Scientist C	Three years as Scientist-B
Level-12	Scientist D	Four years as Scientist -C
Level-13	Scientist E	Four years as Scientist -D
Level-13A	Scientist F	Five years as Scientist -E
Level 14	Scientist G	Five years as Scientist -F

(3) There shall be two level of assessment under the Scheme, namely, Level-1 Screening (Internal Screening Committee) and Level-2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee), as specified in Schedule IV.

(4) The assessment shall be done twice in a year and cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment viz., 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or will earn number of Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Reports equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for assessment under the Scheme.

(5) Scientist who does not qualify either in Level-1 Screening or Level-2 Screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report and Annual Work Report and such re- assessment would again entail Level-1 and Level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify.

(6) The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade shall be conducted only thrice, and thereafter, the scientist shall be covered under Modified Assured Career Progress guidelines as approved for Central Government civilian employees and the scientist who has been granted any grade under Modified Assured Career Progress may be considered for next grade as provided for in the Scheme.

(7) The period of service of Scientists or Technical experts doing management or administrative work shall not be counted for promotion or upgradation under the Scheme and Scientists or Technical experts doing exclusively management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given benefit of upgradation under Modified Assured Career Progress.

(8) The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the competent authority approved the promotion or upgradation and officers on leave or deputation outside the organization shall be given promotion or upgradation only with effect from the date they rejoin or return to the parent cadre.

(9) There shall be no retrospective promotion or upgradation.

(10) The field experience, in research and development or experience in implementation of scientific projects, of at least two years for promotion or upgradation to Scientist 'F' and five years for promotion or upgradation to Scientist 'G' shall be essential.

(11) Treatment of period of leave, period spent on deputation or foreign service etc., towards counting of minimum residency period shall be as specified in the Scheme.

(12) Anything not mentioned in these rules shall be governed by provisions of the Scheme.

6. Annual Performance Appraisal Reports and Annual Work Reports. – The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

7. Probation. – (1) The period of probation for Scientists appointed to the grade of Scientist 'B', either by direct recruitment or by promotion from Group 'B' scale, shall be two years and the period of probation shall be two years for Scientists appointed to the grade of Scientist 'C' by direct recruitment and one year for Scientists appointed to the grade of Scientist 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' by direct recruitment:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Foundation is of the opinion that a Scientist is not fit for permanent appointment, the Foundation may discharge or revert the Scientist to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Foundation to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Foundation may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

8. Confirmation. – Confirmation of scientific posts appointed through direct recruitment shall be done by the controlling authority on the recommendations of Departmental Confirmation Committee and the composition of Departmental Confirmation Committee shall be as follows: -

(1) For Scientist 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F':

1.	Chief Executive Officer	Chairperson;
2.	Joint Secretary or equivalent Scientific officer from the Department of Science and Technology	Member
3.	Scientist 'G' from the Foundation	Member.

(2) For Scientist 'G' and 'H':

1.	Secretary, Department of Science and Technology	Chairperson;
2.	Chief Executive Officer	Member
3.	Additional Secretary or equivalent Scientific officer from the Department of Science and Technology	Member;

9. Disqualification. - No person, -

(g) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(h) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the scientific posts,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. **Medical facility:** The officers of the Board shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule I.

11. Retirement Benefits.- The provisions of New Pension Scheme/ Unified Pension Scheme as applicable to the Central Government Officers of corresponding pay levels, shall be applicable to the officers of the Foundation.

12. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. The Terms & Conditions of service of employees of the Foundation in service immediately before the commencement of these rules shall be in accordance with provisions of these rules.

14. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F. No. RR/ANRF-2025]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

SCHEDULE I

2. Outdoor Medical expenses.— (l) The officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation: For the purpose of this clause, the expression "family" shall have the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st January of the year (Basic Pay + Dearness Allowance) whichever is less.

(3) The claim shall be supported by doctors prescription and the original cash memos or bills for treatment by the doctor and purchase of medicines and release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st January.

(4) For officers' joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from the Authorized Medical Attendants empaneled from the panel to be maintained by the Board.

(6) In case of chronic ailments prescription from Central Service Medical Attendance Rules (CSMA) or Central Government Health Scheme (CGHS) covered hospital shall be admissible with reference to reimbursement of

cost of medicines.

(7) For the purpose of cost intensive treatments, the reimbursement shall be made as per the Central Government Health Scheme or Central Services Medical Attendants rates with the approval of the Board on a case to case basis.

(8) In case of emergency the employee may take treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates prescribed for Central Government Health Scheme beneficiaries subject to production of emergency certificate from the hospital authorities.

2. Indoor treatment:—

(1). For the purpose of indoor treatment the, officers of the Board shall be entitled for medical treatment at hospitals authorized by the Board in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay

(2). The authorized hospitals for the purpose of Clause (1) above shall be the same available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

Treatment at authorized hospitals may be taken on the advice of the Authorized Medical attendants except in emergency

SCHEDULE II
Recruitment for the post of Scientist 'B'

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or equivalent as specified in Schedule V from a recognized University or Institute;

or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four-year degree course) or equivalent as specified in Schedule VI from a recognized University or Institute.

(b) Desirable:

(i) Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V;

or

Master's Degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(ii) One year experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organization.

Note. - The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of Essential Qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed thirty-five years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

Note. - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract): In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which the deputation (including short-term contract) to be made: -

(a.) Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organizations, Universities or recognized research Institutions in India or abroad, -

(iii) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; or
(iv) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-9 (Rs. 53100-167800/) or equivalent in the parent cadre or department; or

(v) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-8 (Rs. 47600-151100/-) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b.) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruit in para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

Screening and selection process – For deputation (including short term contract), the screening and selection process shall be as specified by the controlling authority. For direct recruitment, if considered necessary, the screening process shall include written test, to be conducted by the Foundation directly or through any agency or organization having experience and expertise in the area.

SCHEDULE III

Recruitment for the posts of Scientist 'C' to Scientist 'G'

I. For the posts of Scientist 'C':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualification required for direct recruits, -

(a) Essential:

(i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or equivalent as specified in Schedule V from a recognized University or institute;

Or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four-year degree course) or equivalent as specified in Schedule VI from a recognised University or institute.

(ii) Four years' experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organization.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's Degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed thirty-five years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) to be made**,** shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organizations, Universities or recognized research institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level- 10 (Rs. 56100-177500/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b.) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

II. For the posts of Scientist 'D':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits,-

(a) Essential:

(i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or equivalent as specified in Schedule V from a recognized University or institute;

or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four-year degree course) or equivalent as specified in Schedule VI from a recognized University or institute.

(ii) six years' experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organization.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's Degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed forty years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short term contract): In case of recruitment by deputation (including short term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made**,** shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organizations, Universities or recognized research institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 11 (Rs.67700- 208700/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

III. For the posts of Scientist 'E':

C. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits,-

(a) Essential:

(i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or equivalent as specified in Schedule V from a recognized University or institute;

or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four-year degree course) or equivalent as specified in Schedule VI from a recognized University or institute.

(ii) ten years' experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organization.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's Degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed forty-five years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

D. Deputation (including short term contract): In case of recruitment by deputation (including short term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made**,** shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organizations, Universities or recognized research institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-12 (Rs. 78800 - 209200) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

III. For the posts of Scientist 'F':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

(i) Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's Degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(ii) Ten years' experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and

Technology Organization.

(b) Desirable:

Post Doctorate experience from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V;

or

Doctorate Degree from a recognized University or Institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification - Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed fifty years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract): In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organizations, Universities or recognized research Institutions in India or abroad,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 13 (Rs. 123100-215900/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b.) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under para

1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

IV. For the posts of Scientist 'G':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:
Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's Degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(i) Fifteen years' experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organization.

(ii) two years of experience in evolving, managing and directing science and technology program; and

(iii) published research work of high standard.

(b) Desirable:

Post Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Doctorate Degree from a recognized University or Institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification - Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed

fifty-two years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract): In case of recruitment by deputation (including short term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organizations, Universities or recognized research Institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department, or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 13A (Rs.131100-216600/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b.) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under para

(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the

feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

V. For the posts of Scientist 'H':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

(i) Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's Degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(ii) Eighteen years' experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organization out of which at least ten years should be in planning, administration and development of organization and coordination of Science and Technology programs at the senior level (- level 13 and above in the pay matrix)

(iii) Experience in evolving, managing and directing science and technology program; and

(iv) published research work of high standard.

(b) Desirable:

Post Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Doctorate Degree from a recognized University or Institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification - Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed fifty-two years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract): In case of recruitment by deputation (including short term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organizations, Universities or recognized research Institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department, or

(ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 14 (Rs.144200-218200/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b.) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under para

1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

Schedule IV

Assessment process under the Scheme

Level-1 Screening: Composition of Internal Screening Committee shall be as under:-

1.	A Senior Scientist from the Foundation or from any Scientific Department or Scientific organization under Government of India.	Chairperson;
2.	Up to three Scientists from the Foundation or from any Scientific Department or Scientific organization under Government of India.	Members;

Note 1: Chairperson and members at serial numbers 1 and 2 above shall be as nominated by the Chief Executive Officer.

Note 2: Generally, the Chairperson would be at least two levels above the post to which the promotion or upgradation is to be done and members at serial numbers 2 above would be at least one level above the post to which the promotion or upgradation is to be done.

Note 3: Absence of any member from the proceedings of the Internal Screening Committee shall not invalidate the recommendations of the said Committee.

Note 4: The quorum for any meeting of the Internal Screening Committee shall be three, including the Chairperson.
Note 5: The recommendations of Internal Screening Committee shall be subject to acceptance of the CEO of ANRF.

2. Level-2 Screening:

2.1 Composition of Assessment Board (for consideration of promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'C' up to Scientist 'F' otherwise than under Exceptionally Meritorious Category):

1.	An eminent Scientist of repute from outside the Foundation (whether in service or retired)	Chairperson;
2.	Two or three external experts	Members;
3.	One or two Scientists of the Foundation	Members.

2.2 Composition of Departmental Peer Review Committee (for consideration of promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'G'):

1.	Chairman, Executive Council ANRF	Chairperson;
2.	Two Secretaries from other Scientific Ministries or Departments	Members;
3.	Two to Three eminent Scientists or Experts in the relevant field, not below the rank of Additional Secretary or equivalent	Members;
4.	Representative of Department of Personnel and Training at the rank of Additional Secretary for Scientist 'G'	Member.

Schedule V

Science disciplines

Sr. No.	**Discipline**	**Equivalent**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Physical Sciences	1. Physics 2. Physics (Electronics) 3. Applied Physics 4. Solid State Physics 5. Computational Physics 6. Engineering Physics 7. Physics and Electronics

		8. Basic Sciences with specialization in Physics 9. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Physics' as the main discipline
2.	Chemical Sciences	1. Chemistry 2. Organic Chemistry 3. Inorganic Chemistry 4. Analytical Chemistry 5. Physical Chemistry 6. Applied Chemistry 7. Chemical Sciences 8. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Chemistry' as the main discipline
3.	Biological Sciences	1. Biology 2. Life Sciences 3. Biotechnology Sciences 4. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Biology or Biotechnology' as the main discipline
4.	Earth-atmospheric Sciences	1. Geology and Geophysics 2. Geology 3. Applied Geology 4. Marine Sciences 5. Meteorology 6. Oceanography and Coastal area studies 7. Physical oceanography 8. Geo-informatics 9. Marine Geophysics 10. Geology and Mineralogy 11. Earth Sciences 12. Geophysics 13. Applied Geophysics 14. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Geology and/or Geophysics' as the main discipline
5.	Environmental Sciences	1. Environment and Ecology 2. Environment 3. Ecology 4. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Environment and/or Ecology' as the main discipline
6.	Mathematical Sciences	1. Mathematics 2. Applied Mathematics

		3. Mathematics and Computing 4. Mathematical Sciences 5. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Mathematics' as the main discipline
7.	Computational and Information Sciences	1. Computational Science 2. Data Science 3. Statistics 4. Computational Statistics 5. Information Science 6. Applied Statistics 7. Cryptography 8. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Computational and/or Information' as the main discipline
8.	Agricultural Sciences	1. Agriculture 2. Agricultural Physics 3. Agricultural Chemistry 4. Agricultural Engineering 5. Agricultural Microbiology 6. Vegetable Science 7. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Agriculture' as the main discipline

Schedule VI

Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four year degree course)

Field	**Discipline**	**Equivalent**
(1)	**(2)**	**(3)**
Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine Veterinary Sciences Pharmaceutical Sciences	1. Electronics and Communication Engineering	1. Electronics and Communication Engineering 2. Electronics Engineering 3. Electronics and Computer Engineering 4. Electronics and Control Engineering 5. Electronics and Communication System Engineering 6. Electronics and Instrumentation Engineering 7. Electronics and Tele- Communication Engineering 8. Electronics and Telematics Engineering 9. Industrial Electronics Engineering 10. Tele Communication Engineering 11. Telecommunication and Information Technology 12. Applied Electronics and Instrumentation Engineering 13.Electronics and Electrical Communication Engineering 15. Electrical with Communication Engineering 15. Radio Physics and Electronics 16. Electrical Engineering 17. Electrical and Electronics Engineering

		18.Electronics and Communication Engineering (Avionics) 19. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Electronics' as the main discipline

	2. Electrical Engineering	1. Electrical Engineering 2.Electrical Power System Engineering 3.Electrical and Electronics Engineering 4. Electrical and Renewable Energy Engineering 5.Power Engineering 6.Power Electronics Engineering 7. Electronics and Electrical Communications Engineering 8. Electrical with Communication Engineering 9.Control System 10. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Electrical' as the main discipline
	3. Mechanical Engineering	1. Mechanical Engineering 2. Mechanical and Automation Engineering 3. Mechanical and Production Engineering 4. Mechatronics Engineering 5. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Mechanical' as the main discipline
	4. Production and Industrial Engineering	1. Production Engineering 2. Industrial Production Engineering 3. Production and Industrial Engineering 4. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Production and Industrial' as the main discipline
	5. Computer Science and Engineering	1. Computer Science or Engineering or Technology 2. Computer Science and Engineering or Technology 3. Computer Science or Engineering and Information Technology 4. Computer Science and System Engineering 5. Software Engineering or Technology 6. Computer Science and Automation Engineering or

		Technology 7. Information Technology 8. Computer Science or Technology and Informatics Engineering or Technology 9. Information Science and Engineering or Technology 10. Computer and Communication Engineering 11. Computer Networking Information Technology Mathematical Innovations 13. Artificial Intelligence 14. Quantum Technology 15. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Computer' as the main discipline
	6. Material Engineering or Material Science and Engineering or Metallurgical Engineering	1. Metallurgy and Material Technology 2. Metallurgy or Metallurgical Engineering 3. Materials Engineering 4. Material Science and Engineering 5. Material Science and Metallurgical Engineering 6. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Material Engineering' or 'Material Science' or 'Metallurgy' as the main discipline
	7. Environmental Science and Engineering	1. Environmental Science and Engineering 2. Energy and Environmental Engineering 3. Environmental Engineering 4. Civil and Environmental Engineering 5. Civil Environmental Engineering 6. Energy Environment and Climate 7. Environmental Science and Technology 8. Renewable Energy and Environmental Engineering Environmental and water resources Engineering 9. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Environmental Science' as the main discipline
	8. Civil Engineering	1. Civil Engineering 2. Civil and Structural Engineering 3. Civil and Environmental Engineering 4. Civil and Rural Engineering 5. Civil and Water

		Management Engineering 6. Civil and Infrastructure Engineering 7. Construction Engineering 8. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Civil' as the main discipline
	9. Chemical Engineering	1. Chemical Technology 2. Chemical Plant Engineering 3. Applied Chemical and Polymer Technology 4. Polymer Science and Chemical Technology 5. Chemical Science and Technology 6. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Chemical' as the main discipline
	10. Biotechnology	1. Biotechnology 2. Biochemical Technology 3. Bioinformatics 4. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Biotechnology' as the main discipline
	11.	1. Pharmacology 2. Pharmacy 3. Medicinal Chemistry 4.Pharmaceutical Chemistry 5. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Pharmacy' as the main discipline
	12. Medicine	Any relevant discipline with qualifying degree in 'Medicine'
	13. Veterinary Sciences	Any relevant discipline with qualifying degree in 'Veterinary Sciences'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.06 16:06:48 +05'30'